प्रेस नोट
दिनांक - 26.09.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा "मिशन शक्ति कार्यक्रम" के अंतर्गत पुलिस लाइन गोण्डा में महिला पुलिस कर्मियों व उनके परिवारजन हेतु स्वास्थ्य कैम्प का किया गया आयोजन -

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा शासन द्वारा संचालित "मिशन शक्ति कार्यक्रम" के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण, महिला उत्पीड़न व घरेलू हिंसा के विरुद्ध जागरुकता बढ़ाने के साथ-साथ महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण हेतु पुलिस लाइन परिसर गोण्डा में स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन कराया गया । इस स्वास्थ्य कैम्प में महिला पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवारजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जाँच में मुख्य रूप से थायरॉइड, एनीमिया, रक्तचाप, क्षय रोग, एवीओएम, बीपी, हिमोग्लोबिन आदि की जांच की व्यवस्था की गई । इस अवसर पर स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं चिकित्सा टीम द्वारा स्वास्थ्य संबंधी परामर्श एवं परीक्षण किये जा रहे हैं ।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल ने बताया कि "मिशन शक्ति अभियान" के अंतर्गत महिलाओं को न केवल सुरक्षा एवं अधिकारों के प्रति जागरुक किया जा रहा है, बल्कि उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन किया जा रहा है, जिससे महिला पुलिस कर्मियों व उनके परिवारजनों को लाभान्वित किया जा सके।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार एवं वामा सारथी उपाध्यक्ष श्रीमती भाविका द्वारा प्रतिभाग किया गया और मेडिकल टीम तथा पुलिसकर्मियों से संवाद कर जानकारी ली ।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक - 26.09.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा शारदीय नवरात्रि एवं जुम्मे की नमाज़ के दृष्टिगत शहर क्षेत्र का भ्रमण कर कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश -

गोण्डा। आज दिनांक 26.09.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा थाना कोतवाली नगर पुलिस बल के साथ शारदीय नवरात्रि एवं जुम्मे की नमाज़ के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु शहर क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों पर भ्रमण एवं पैदल गश्त किया गया। इस दौरान जुम्मे की नमाज़ को शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सकुशल सम्पन्न कराया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा शहर क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों एवं मस्जिदों का निरीक्षण कर धर्मगुरुओं, नमाजियों, आमजन एवं राहगीरों से वार्ता की गई तथा उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। यातायात व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाए जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

शुक्रवार की नमाज़ के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई । स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा लगातार सक्रिय होकर निगरानी की जा रही है। साथ ही सादे वस्त्रों में पुलिसकर्मियों एवं महिला पुलिस की संयुक्त टीमों को भी लगाया गया। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा एवं ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी गई। सोशल मीडिया सेल द्वारा ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप आदि सभी प्लेटफार्मों पर लगातार निगरानी की जा रही है। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी, क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में फ्लैगमार्च/पैदल गश्त करते हुए लगातार भ्रमणशील रहकर कानून एवं शांति व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया। इस दौरान मस्जिदों पर पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाकर जुम्मे की नमाज़ सकुशल सम्पन्न कराई गई।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज रावत, क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनंद कुमार राय, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर व अन्य पुलिस अधि०/कर्मचारीगण एवं पुलिस लाइन में प्रशिक्षणाधीन रिक्रूट आरक्षी कर्मचारीगण मौजूद रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 26.09.2025

थाना छपिया पुलिस द्वारा गोवंशों की तस्करी करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मु0अ0स0-447/23, धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि व 11 पशु क्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित वाछिंत शातिर अभियुक्त- बालक यादव उर्फ पण्डित पुत्र रामजग यादव निवासी ग्राम कोहड़ा गौसपुर थाना शाहगंज जनपद जौनपुर को खुटहन की ओर जाने वाले मार्ग पर लक्ष्मी मोड़ के पास जनपद जौनपुर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.08.23 को थाना को0 देहात पुलिस बल को रात्रि गश्त के दौरान सूचना मिली कि ग्राम लक्ष्मणपुर जाट खालेपुरवा में कुछ लोग एक ट्रक मे छुट्टा गोवंश लाद रहें हैं, सूचना पर को0देहात पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचे तो पुलिस की आहट पाकर वहाँ मौजूद व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गये तथा वहाँ मौजूद अन्य छुट्टा जानवर खेतों की ओर भाग गये । तथा ट्रक में देखा गया तो चार गोवंशों को रस्सी से निर्दयतापूर्वक बाँधकर लादा गया था। जिसके संबंध में थाना को0देहात पर तैनात उ0नि0 सुभाष यादव द्वारा अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था । अभियोग में तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 25.09.2025 को थाना को0 देहात पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त- बालक यादव उर्फ पण्डित पुत्र रामजग यादव निवासी ग्राम कोहड़ा गौसपुर थाना शाहगंज जनपद जौनपुर को खुटहन की ओर जाने वाले मार्ग पर लक्ष्मी मोड़ के पास जनपद जौनपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. बालक यादव उर्फ पण्डित पुत्र रामजग यादव निवासी ग्राम कोहड़ा गौसपुर थाना शाहगंज जनपद जौनपुर ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0-447/23, धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना को0 देहात जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 विजय बहादुर यादव मय हमराह
02. उ0नि0 श्री भानू प्रताप मौर्या
03. हे0का0 रामदास राठौर
04. का0 भरत चौहान

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 26.09.2025

थाना उमरी बेगमगंज पुलिस द्वारा 01 दहेज हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना उमरी बेगमगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-161/25, धारा 85, 80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित 01 दहेज हत्याभियुक्त - खुशियाल पुत्र विस्पत को पी0डी0 बन्धा हनुमान मन्दिर उमरी बेगमगंज से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.07.2025 को वादिनी श्रीमती सुरसती पत्नी नकछेद उर्फ मोहित निवासी त्यौरासी पूरे बिहारी पुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना उमरी बेगमगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री काजल का विवाह दिनांक 30/06/21 को रमेश चौहान निवासी ग्राम गढी माझा थाना उमरीबेगमगंज गोण्डा से हुआ था। विवाह के उपरांत पति रमेश चौहान व अन्य ससुरालीजन द्वारा दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न किया गया। दिनांक 26.07.2025 को ससुरालीजनों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर गैस से जला दिया,जिससे उसकी इलाज के दौरान लखनऊ मेडिकल कालेज में मृत्यु हो गई। वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना उमरी बेगमगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 26.09.2025 को थाना उमरी बेगमगंज पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर वांछित चल रहे दहेज हत्याभियुक्त - खुशियाल पुत्र विस्पत को पी0डी0 बन्धा हनुमान मन्दिर उमरी बेगमगंज से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना उमरी बेगमगंज पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. खुशियाल पुत्र विस्पत निवासी गढ़ी माझा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-161/25, धारा 85, 80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना उमरी बेगमगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 रमाशंकर यादव मय हमराह,
02. हे0का0 कलेन्द्र यादव
03. का० पीयूष यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।